



कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली  
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन  
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006.

File. No. 84/CEO/SVEEP/D.L.A.Q./2021/ 27473-475 Dated: 30/12/21

सेवा में


उपसचिव (प्रश्न शाखा)  
दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.  
ई-मेल: [-questionbranchlas@gmail.com](mailto:-questionbranchlas@gmail.com)

विषय:-दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 184  
श्री सुरेंद्र कुमार द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या एफ.11(बी-1) VI/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./273  
दिनांक:-25.12.2021 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से सम्बन्धित उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या  
184 के उत्तर की 100 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इस पत्र के साथ उत्तर व उसके  
संलग्न की सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्त

भवदीय,  
  
(ललित मिस्तल)  
चुनाव अधिकारी (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं चुनाव, दिल्ली सरकार, ए-विंग, 8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002.
2. पी0 एस0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली/पी0 ए0 उप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के लिए।



कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली  
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन  
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

अतारंकित प्रश्न संख्या:-184


दिनांक:- 04.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री सुरेंद्र कुमार

क्या माननीय चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि गोकलपुर विधानसभा में चुनाव कार्यालय के लिए बैंक कॉलोनी रोड पर जमीन सुनिश्चित की गयी थी;	हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 500 वर्ग मीटर जमीन फ़ैसिलिटी सेंटर, मंडोली मैन वजीराबाद रोड पर वोटर सेंटर विधान सभा-68 (गोकलपुर) के लिए आवंटित की गई है।
(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कार्यालय का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं; और	लोक निर्माण विभाग से फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्सपेंडिचर गाइडलाइंस कोविड-19 के मद्देनजर स्पष्टीकरण मांगा गया था, कि उक्त कार्य संभव है या नहीं पर इस संदर्भ में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के जवाब के अनुसार इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 में बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। यथाशीघ्र प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को प्रदान कर दी जाएगी जिससे बजट प्रावधान हो सके।
(ग) गोकलपुर विधानसभा में प्रस्तावित चुनाव कार्यालय का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?	सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वकृति होने के बाद समयावधि का अनुमान लगाया जा सकता है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और चुनाव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय,  
  
20/2/2022  
(ललित मित्तल)

चुनाव अधिकारी (स्वीप)